

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—68/2020 (2020/00214) वादपत्र

अनवान

1. नशीर मोहम्मद पिता वजीर खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
वादीगण

बनाम

1. नन्हें खां पिता वजीर खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. अनवर हुसैन पिता इकबाल मोहम्मद खां निवासी धूलखेड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. सहीदा बेगम पिता इकबाल मोहम्मद पठान निवासी धूलखेड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. नफीसा बेगम पिता इकबाल मोहम्मद पठान निवासी धूलखेड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. मोहम्मद हुसैन पिता शेर खां पठान निवासी धूलखेड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
6. जाकिर हुसैन पिता शेर खां पठान निवासी धूलखेड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
7. जन्नत बेगम पिता शेर खां पठान निवासी धूलखेड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
8. हफीज मोहम्मद पिता भुरे खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. सदीक मोहम्मद पिता भुरे खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. सबीर मोहम्मद पिता भुरे खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. रफीक मोहम्मद पिता भुरे खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. अमीरन बेवा भुरे खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. लैण्ड होल्डर सा0 जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. जाकिर हुसैन —

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 09.12.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 22.09.2021 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम केमुणिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के शामिल कृषि आराजियात खाता संख्या 10 में अकिंत आराजी संख्या 2125/1317 रकबा 0.61 है0 कुल कित्ता 1 कुल रकबा 0.61 है0 भूमि में वादी का 1/4 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 28.11.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन






कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम केमुणिया तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रस्तावित आराजी संख्या 2125/1317/1 रकबा 0.15 है० भूमि नशीर मोहम्मद पुत्र वजीर खां मुसलमान सा. रायपुर खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 2125/1317/2 रकबा 0.46 है० भूमि अनवर हुसैन पुत्र इकबाल मोहम्मद 1/36, अमरीन पत्नि भूरे खां 1/15, जन्नत बेगम पत्नि शेर खां 1/12, जाकिर हुसैन पुत्र शेर खां 1/12, नन्हे खां पुत्र वजीर खां 1/3, नफीसा बेगम पत्नि इकबाल मोहम्मद 1/36, मोहम्मद हुसैन पुत्र शेर खां 1/12, रफीक मोहम्मद पुत्र भूरे खां 1/15, सदीक मोहम्मद पुत्र भूरे खां 1/15, सबीर मोहम्मद पुत्र भूरे खां 1/15, सहिदा बेगम पुत्र इकबाल मोहम्मद 1/36, हफीज मोहम्मद पुत्र भूरे खां 1/15 मुसलमान सा. रायपुर खातेदार के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




9/12/2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—68/2020 (2020/00214) वादपत्र

अनवान

1. नशीर मोहम्मद पिता वजीर खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
वादीगण

बनाम

1. नन्हें खां पिता वजीर खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. अनवर हुसैन पिता इकबाल मोहम्मद खां निवासी धूलखेड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. सहीदा बेगम पिता इकबाल मोहम्मद पठान निवासी धूलखेड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. नफीसा बेगम पिता इकबाल मोहम्मद पठान निवासी धूलखेड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. मोहम्मद हुसैन पिता शेर खां पठान निवासी धूलखेड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
6. जाकिर हुसैन पिता शेर खां पठान निवासी धूलखेड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
7. जन्नत बेगम पिता शेर खां पठान निवासी धूलखेड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
8. हफीज मोहम्मद पिता भुरे खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. सदीक मोहम्मद पिता भुरे खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. सबीर मोहम्मद पिता भुरे खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. रफीक मोहम्मद पिता भुरे खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. अमीरन बेवा भुरे खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. लैण्ड होल्डर सा0 जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम केमुणिया तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 2125/1317/1 रकबा 0.15 है0 भूमि नशीर मोहम्मद पुत्र वजीर खां मुसलमान सा. रायपुर खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 2125/1317/2 रकबा 0.46 है0 भूमि अनवर हुसैन पुत्र इकबाल मोहम्मद 1/36, अमीरन पत्नि भुरे खां 1/15, जन्नत बेगम पत्नि शेर खां 1/12, जाकिर हुसैन पुत्र शेर खां 1/12, नन्हें खां पुत्र वजीर खां 1/3, नफीसा बेगम पत्नि इकबाल मोहम्मद 1/36, मोहम्मद हुसैन पुत्र शेर खां 1/12, रफीक मोहम्मद पुत्र भुरे खां 1/15, सदीक मोहम्मद पुत्र भुरे खां 1/15, सबीर मोहम्मद पुत्र भुरे खां 1/15, सहीदा बेगम पुत्र इकबाल मोहम्मद 1/36, हफीज मोहम्मद पुत्र भुरे खां 1/15 मुसलमान सा. रायपुर खातेदार के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 09.12.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



Sundar Lal Bumboda
9.12.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा